>

Title: Need to ensure participation of elected public representatives in the implementation of smart city project - Laid.

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): देश के चुनिन्दा 100 शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजना पर काम चल रहा है । इन शहरों का चुनाव प्रतिस्पर्धा आयोजित कर किया गया था । ग्वालियर भी इसमें शामिल है । सभी शहरों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एस.पी.वी. का गठन किया गया है । इन सभी कम्पनियों के अध्यक्ष शासकीय अधिकारियों को बनाया गया है । संचालक मण्डल में भी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के अधिकारियों को रखा गया है। इन कम्पनियों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति न होने से इस योजना के क्रियान्वयन में जनता की कोई भागीदारी नहीं है । ग्वालियर में भी लगभग 2300 करोड़ रूपये की इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित एस.पी.वी. का अध्यक्ष कलेक्टर ग्वालियर को बनाया गया है । महापौर की कोई भी भूमिका इसमें नहीं है । संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में मात्र एक पार्षद को नामित करने का प्रावधान रखा गया है । निगम आयुक्त को उस कम्पनी में एक्जिक्यूटिव डायरेक्ट नियुक्त किया गया है । जो कलेक्टर ग्वालियर के अधीन काम करता है । इससे अनेकों गलतफहमियां भी उत्पन्न होती है। व जिम्मेदारी तय करने में भी दिक्कतें होती हैं । नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी, कलेक्टर के अधीनस्थ रहकर कार्य करें व निगम के मुखिया महापौर की इसमें कोई भी भूमिका न हो यह उचित प्रतीत नहीं होता । सभी स्थानों पर यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है । सदन के माध्यम से सरकार तक मैं यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी परियोजना का क्रियान्वयन निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के नेतृत्व में हो जिससे जन-आकांक्षाओं के अनुरूप विकास हो और जनता सीधे इस योजना से अपना जुड़ाव अनुभव करें, इन योजनाओं को मात्र सरकारी योजनायें न मानकर अपनी योजनायें समझें । तभी इन योजनाओं का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक संभव हो सकेगा।